शोध मंथन, 2018 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)
UGC Approved Journal No. 40908

महिलाओं के विरुद्ध अपराध : भारत में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रभावों का विश्लेषण

अनिल कुमार
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग
श्री ठाकुर जी महाराज स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिल्हौर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

अनिल कुमार

महिलाओं के विरुद्ध अपराध : भारत में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रभावों का विश्लेषण

शोध मंथन, मार्च 2018,
पेज सं0 35–45

Article No. 6
http://anubooks.com
?page_id=581

सारांश

कोई भी सभ्य समाज हिंसा और अपराध को उचित सिद्ध करने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को बढ़ावा देने वाले कारकों का सृजन किया है। वर्तमान सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों के साथ–साथ मानवीय सम्बन्ध भी वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं। तीव्र एवं अनियोजित नगरीकरण ने औद्योगिक विकास के साथ अवैध आवासीय कॉलोनियों, सुविधारहित नगरीय मलिन बस्तियों को जन्म दिया है। संस्तरणीय औद्योगिक विकास एवं महिलाओं के प्रति हिंसा का कारण एवं सामाजिक संरचना के सिद्धान्तों के विरूद्ध हैं। फलस्वरूप, दिल्ली, मुम्बई, बंग्लौर एवं हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में देश के अन्य शहरों की तुलना में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनायें अधिक हो रही हैं।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राज्य के विषमता स्थापित करने वाले तथा महिलाओं के विरूद्ध अपराध को बढ़ावा तत्वों की खोज करना है।

मूल शब्द

मूलभूत आवश्यकताएं, संस्तरणीय नगरीय विकास, वैश्विक अर्थव्यवस्था, हिंसा।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध : भारत में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रभावों का विश्लेषण

अनिल कुमार

1. प्रस्तावना

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एक वैश्विक प्रघटना है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से छिपाई गयी, नजरंदाज एवं स्वीकार की गयी (मोरेनो, एवं अन्य, 2014)। भारतीय समाज में अपराध की घटनाएं एवं उनकी प्रवृत्तियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। (बोहरा, 2015; मठ एवं अन्य, 2014)। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों एवं सामाजिक सम्बन्धों पर अनियोजित परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली राजनीतक अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ रहा है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की व्यापकता घर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय परिक्षेत्र तक वैश्विक रूपांतरण के उत्प्रेरक आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य एवं प्राकृतिक वातावरण के दबाव से संरचनात्मक रूप से जुड़ी हुई है (ट्रयू, 2010)। यह हिंसात्मक घटनाक्रम अचानक प्रकट होने वाले चक्रवात की भांति नहीं अपितु मध्य युगीन भारतीय समाज में पनपी सामन्तवादी सामाजिक व्यवस्था में दलितों और महिलाओं के लिए शोषण की जो नींव रखी गयी थी, उसका प्रभाव आज भी भारतीय जन—मानस के जीवन से अलग नहीं हो सका है। ब्राह्मण विधवा स्त्रियों पर प्रतिबन्ध, घर के अन्दर और बाहर यौन हिंसा, गर्भधारण की स्थिति में भ्रूणहत्या, बालहत्या एवं आत्महत्या के स्वरूप ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के लिए बीजारोपण का कार्य किया होगा (तिवारी, 2017)। वर्तमान समाज में अपराध के स्वरूपों में बदलाव आ रहे हैं, लेकिन अपराध की दर को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी भी आपराधिक घटना का सर्वाधिक दुष्प्रभाव महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर पड़ता है— चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के विरूद्ध हो अथवा किसी अन्य रूप में यथा— साम्प्रदायिक दंगा, जातिगत अथवा धार्मिक हिंसा। यहां तक कि दो देशों के बीच राजनीतिक व आर्थिक तनाव अथवा युद्ध की स्थिति, महिलाओं के प्रति यौनिक, सामाजिक एवं मानसिक अपराध को बढ़ते हुए देखा जा सकता है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या के साथ—साथ महिलाओं के मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून ने कहा था कि ''यह सार्वभौमिक सत्य है, जो सभी देशों, संस्कृतियों एवं समुदायों पर लागू होती है कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, कभी क्षमा नहीं किया जा सकता एवं कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है'' (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2013)। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि महिलाओं के विरूद्ध विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाएं स्थान, एवं समय के सापेक्ष सदैव होती रही हैं। लेकिन उनका विश्लेषण इस रूप में नहीं हुआ कि राज्य इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे।

अध्ययन का उद्‌देश्य

वर्तमान अध्ययन का उद्‌देश्य इस बात की समीक्षा करना है कि किस प्रकार राज्य समाज में विषमता स्थापित करता है, जो महिलाओं के विरूद्ध आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। इस बात पर भी समझ विकसित करना कि किस प्रकार संस्तरणीय औद्यागिक विकास महिलाओं के प्रति हिंसा का कारण हो सकते हैं।

अध्ययन विधि

वर्तमान अध्ययन द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का अनुभवजन्य समाजशास्त्रीय विश्लेषण है।

जिसमें असंतुलित नगरीकरण एवं संस्तरणीय औद्योगिक विकास का मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों एवं इसके फलस्वरूप महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों का अध्ययन किया गया है।

2. महिलाओं के विरूद्ध अपराध के स्वरूप एवं प्रचलन

भारत में महिलाओं के विरूद्ध अपराध का स्वरूप

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को समझने के लिए एक पारिस्थितिकीय मॉडल का विश्लेषण किया है। जिसमें 1. व्यक्ति, 2. सम्बन्ध, 3. समुदाय, एवं 4. सामाजिक गुण एवं विशेषताओं पर बल दिया है। किन्तु वर्तमान की उदारवादी वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रभावों का चित्रण नहीं किया है। जबकि वर्तमान सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों के साथ ही व्यक्तिगत सम्बन्ध भी वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं।

भारत के राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (2016) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में होने वाले सभी अपराधों के सापेक्ष महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा का प्रतिशत सर्वाधिक 3,38,954 (55.2 प्रतिशत) है। जबकि विशेष एवं स्थानीय कानूनों {दहेज निषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार (निषेध) अधिनियम 1956, बच्चों एवं महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 तथा महिलाओं को अश्लील प्रस्तुतीकरण (निषेध) अधिनियम,1986} के तहत कुल 12495 (1.7 प्रतिशत) घटनायें पंजीकृत हुई थीं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में महिलाओं के विरूद्ध अपराध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अधिक पंजीकृत होते हैं।

भारत में महिलाओं के विरूद्ध अपराध में बड़े राज्यों की स्थिति

आर. कुमारी (1995) ने इस बात पर ध्यानाकर्षण किया है कि भारत में महिलाओं से ज्यादा गायों का सत्कार होता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह विवाह करें और बच्चों को जन्में, इस प्रकार वह अपनी यौनिकता को एक पुरूष (पिता) से दूसरे पुरूष (पति) के नियन्त्रण में हस्तान्तरित करती है। अन्य संस्कृतियों की भांति भारत में भी एक पुरूष, महिलाओं के जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाता है, जिसे पारम्परिक पित्रसत्तात्मक विचारधारा की परिणति माना जा सकता है (कालरा एवं भुगरा, 2013ः 246)। उद्विकासवादी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में महिला–पुरूष लिंगानुपात में भारी अन्तर (महिलाओं की तुलना में अधिक पुरूष) होने से महिला एवं पुरूष साथी के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इससे पुरूषों में यौनिक ईर्ष्या एवं कुण्ठा को जन्म देती है, जो महिलाओं के प्रति यौनिक हिंसा को अंजाम देने का कारण बनती है। (डी'अलेसियो एवं स्टोलजेनबर्ग, 2010; कालरा एवं भुगरा, 2013:246). यही कारण है कि भारत में महिलाओं के विरूद्ध पति/यौनिक साथी द्वारा घटनाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। यह धारणा बनाना गलत होगा कि आर्थिक रूप से विकसित समाज की महिलाओं में पति से यौनिक असहमति व्यक्त करने की दर अधिक होती है, क्योंकि के. जी. सन्ध्या एवं अन्य (2007:127) ने अपने अध्ययन में इसे नकारते हुए कहा है कि ''गुजरात की 10 में से 7 युवा महिलाओं ने अपने पतियों को यौनिक सम्बन्ध रखने में असहमति प्रकट की, उसकी तुलना में पश्चिम बंगाल की 10 में से 9 महिलाओं ने असहमति प्रकट की कि अभी उनकी यौनिक सम्बन्ध बनाने की इच्छा नहीं है''।

राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पति अथवा उनके सगे सम्बन्धियों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध दुर्व्यवहार की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं। इस तरह की घटनाओं की अधिकता पश्चिम बंगाल (17.49 प्रतिशत), राजस्थान (12.51 प्रतिशत) तथा उत्तर प्रदेश (10.11 प्रतिशत) में देखी जा सकती हैं। महिलाओं की शुचिता भंग करने के उद्देश्य से छेड़खानी की घटनाओं में महाराष्ट्र (13. 45 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (13.38 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (10.29 प्रतिशत) की विस्तृत भागीदारी के साथ क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं। अपहरण एवं बलपूर्वक भगा ले जाने के मामले में उत्तर प्रदेश (20.14 प्रतिशत), महाराष्ट्र (9.56 प्रतिशत), एवं बिहार (8.52 प्रतिशत) के साथ देश में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं। बलात्कार जैसी घृणित घटनाओं में मध्य प्रदेश (12.53 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (12.37 प्रतिशत), एवं महाराष्ट्र (10.76 प्रतिशत) देश में अग्रणी हैं (तालिका –1)। आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले पांच में से दो अपराध उपरोक्त राज्यों में होते हैं।

तालिका –1ः महिलाओं के विरूद्ध अपराध में बड़े राज्यों की स्थिति

अपराध मद	कुल पंजीकृत घटनाएं	2016 में बड़े राज्यों की स्थिति		
पति अथवा उसके सम्बन्धियों द्वारा दुर्व्यवहार	1,10,378	पश्चिम बंगाल 19,302 (17.49)	राजस्थान 13,811 (12.51)	उत्तर प्रदेश 11,156 (10.11)
महिलाओं की सुचिता भंग करने के उद्देश्य से छेड़खानी	84,746	महाराष्ट्र 11,396 (13.45)	उत्तर प्रदेश 11,335 (13.38)	मध्य प्रदेश 8,717 (10.29)
अपहरण एवं बलपूर्वक भगा ले जाना	64,519	उत्तर प्रदेश 12,994 (20.14)	महाराष्ट्र 6,170 (9.56)	बिहार 5,496 (8.52)
बलात्कार	38,947	मध्य प्रदेश 4,882 (12.53)	उत्तर प्रदेश 4,816 (12.37)	महाराष्ट्र 4,189 (10.76)

स्रोतः भारत में अपराध, राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, 2016.

भारत में महिलाओं के विरूद्ध अपराध में बड़े महानगरों की स्थिति

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली आपराधिक घटनायें सामाजिक संरचना के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। इन घटनाओं के पीछे भेदभावपूर्ण औद्योगीकरण को एक कारक के रूप में मान सकते हैं, जिसने व्यक्ति और समुदाय स्तर पर संस्तरण में वृद्धि की है। भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है, कि राजनीतिक राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी एवं मायानगरी मुम्बई, एवं वैश्विक शहर बंग्लौर में भारत की अर्थव्यवस्था को केन्द्रीकृत रूप से स्थापित कर दिया गया है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के केन्द्रीयकरण के कारण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं हेतु देश के विभिन्न ग्रामीण, नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का दबाव इन महानगरों पर बढ़ता जा रहा है। एक ओर भारतीय अर्थव्यस्था निरन्तर विस्तार ले रही है, तो दूसरी ओर भारतीय लोकतंत्र में नृजातीय एवं क्षेत्रीय विषंगतियां परम्परागत एवं प्राथमिक रोजगार को नष्ट कर रही हैं। परिणामस्वरूप वर्तमान सामाजिक वातावरण में संस्तरण के स्तर में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जो समाज में विचलनकारी तत्वों को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जब इन विचलनकारी उत्प्रेरकों की निरन्तरता एवं घनत्व में वृद्धि होती है, तो समाज में आपराधिक एवं विघटनकारी घटनायें घटित होती हैं, जिसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव महिलाओं एवं बच्चों पर पड़ता है।

राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं के विरूद्ध ग्रामीण एवं छोटे नगरों की तुलना में बड़े महानगरों में अपराध की दर अधिक है। पति अथवा उनके सगे सम्बन्धियों द्वारा दुर्व्यवहार की सर्वाधिक घटनाएं दिल्ली (29.83 प्रतिशत), हैदराबाद (10.73 प्रतिशत) तथा जयपुर (8.25 प्रतिशत) में होती हैं। महिलाओं की सुचिता भंग करने के उद्देश्य से छेड़खानी की सर्वाधिक घटनाएं दिल्ली (35.83 प्रतिशत), मुम्बई (20.83 प्रतिशत) तथा बंग्लौर (7.84 प्रतिशत) जैसे बड़े शहरों में हो रही हैं। स्पष्ट होता है कि बड़े शहरों में होने वाली छेड़खानी की तीन में से दो घटनाएं इन्हीं तीन शहरों में हो रही हैं। अपहरण एवं बलपूर्वक भगा ले जाने के मामले में भी दिल्ली (36.34 प्रतिशत), मुम्बई (12.

34 प्रतिशत) तथा बंग्लौर (7.28 प्रतिशत) के साथ देश में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं। बलात्कार की घटनाओं में दिल्ली (40.45 प्रतिशत), मुम्बई (14.43 प्रतिशत), क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर एवं पुणे (7.17 प्रतिशत) बड़े शहरों में बलात्कार के मामले में तीसरे स्थान पर हैं (तालिका –2)।

तालिका –2: महिलाओं के विरूद्ध अपराध में बड़े महानगरों की स्थिति

अपराध मद	कुल पंजीकृत घटनाएं	महिलाओं के विरूद्ध घटनाएं एवं महानगरों की अपराध का प्रतिशत		
पति अथवा उसके सम्बन्धियों द्वारा दुर्व्यवहार	12,218	दिल्ली 3,645 (29.83)	हैदराबाद 1,311 (10.73)	जयपुर 1,008 (8.25)
महिलाओं की शुचिता भंग करने के उद्देश्य से छेड़खानी	10,458	दिल्ली 3,746 (35.82)	मुम्बई 2,183 (20.83)	**बंग्लौर** 820 (7.84)
अपहरण एवं बलपूर्वक भगा ले जाना	9,256	दिल्ली 3,364 (36.34)	मुम्बई 1,142 (12.34)	**बंग्लौर** 674 (7.28)
बलात्कार	4,935	दिल्ली 1,996 (40.45)	मुम्बई 712 (14.43)	पुणे 354 (7.17)

स्रोतः भारत में अपराध, राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, 2016.

राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (2016) की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, हैदराबाद एवं जयपुर जैसे बड़े शहर महिलाओं के विरूद्ध आपराधिक घटनाओं के मामले में सबसे आगे हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत की राजधानी दिल्ली महिलाओं के विरूद्ध बलात्कार की राजधानी है (बोहरा, 2015) आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं के विरूद्ध यौनिक हिंसा से सम्बन्धित अपराध न केवल जानपहचान के व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं, अपितु नजदीकी रिश्तों में भी प्रचलित हैं। इस बात की पुष्टि अनुजा गुप्ता एवं अश्विनी ऐलावादी (2005:174) ने एक लेख में दिल्ली, मुम्बई और अन्य शहरों में महिलाओं पर बचपन और किशोरावस्था में हुए यौनिक दुर्व्यवहारों का विश्लेषण किया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि परिवार चाहे एकल, संयुक्त या विस्तारित किसी तरह का हो सभी में बच्चों के साथ यौनिक दुर्व्यवहार होता है।

अध्ययन बताते हैं कि ''अन्तरंग/यौनिक साथी के द्वारा होने वाली हिंसा एशियाई पृष्ठभूमि एवं यहां तक कि वैश्विक स्तर पर तुलनात्मक दृष्टि से मालदीव में न्यूनतम है। औद्योगिक रूप से विकसित देशों यथा यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से भी कम। मालदीव सर्वे ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एण्ड वीमेन्स हेल्थ के अनुसार, 15–49 वर्ष की 20 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्होंने जीवन में कभी न कभी अपने जीवन/यौनिक साथी से शारीरिक अथवा यौनिक हिंसा की पीड़ा झेली है'' (फूलू 2007, 2015)।

3. महिलाओं के विरूद्ध अपराध के कारक

राजनीतिक अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण महिलाओं के विरूद्ध अपराध की दर में वृद्धि के साथ–साथ उसके स्वरूपों में भी बदलाव हो रहे हैं। असंतुलित विकास की प्रक्रिया एवं वैश्वीकरण के

परिणामस्वरूप समाज में विषमता एवं अपराध को बढ़ावा देने वाले कारक जन्म ले रहे हैं। बॉवन (2015) का मानना है कि वैश्विक नगरों के विकास से समाज पर द्वितीयक प्रभाव पड़ता है। जिससे अल्प मजदूरी युक्त रोजगार का सृजन होता है, जो अपने से उत्कृष्ट क्षेत्रों के उच्च आय वाले कार्मिकों के लिए कार्य करते हैं। समाज में एक संस्तरणीय विकास के द्योतक के रूप में शहर में आन्तरिक उच्चकुलीन पड़ोसवाद का जन्म होता है, जिससे मानव में सापेक्षिक वंचना, आर्थिक ध्रुवीकरण, कड़ी प्रतिस्पर्द्धा, ईर्ष्या एवं कुण्ठा का विकास होता है। पूर्व स्थापित सांस्कृतिक मानदण्डों से मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाने की स्थिति में असंतोष एवं विचलन उत्पन्न होता है।

तकनीकी विकास के साथ–साथ इण्टरनेट, इलेक्ट्रानिक मीडिया ने यौनिकता को परोसने का कार्य किया है, जिससे बच्चों एवं युवाओं में हिंसा, सामाजिक विचलन एवं अपराध को बढ़ावा देने वाले हैं (बोहरा, 2015; मठ एवं अन्य, 2014)। इण्टरनेट उपयोगकर्ताओं की वृद्धि के साथ महिलाओं के विरूद्ध अपराध में वृद्धि का धनात्मक सहसम्बन्ध है। इस आधार पर कहा गया है कि बलात्कार, यौनिक शोषण, महिलाओं के विरूद्ध सभी तरह के अपराध के लिए इण्टरनेट का उपयोग एक उत्प्रेरक का कार्य करता है (मठ एवं अन्य, 2014)।

प्रत्येक संस्कृति का विकास लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होता है (मजूमदार एवं मदन, 1998:26–27)। मैलिनॉस्की के अनुसार संस्कृति एक ऐसा माध्यम या उपकरण है जो मनुष्य का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा, साथ ही ,उन्नत मानसिक–बौद्धिक अस्तित्व निर्वहन संभव बनाती है। मनुष्य का अस्तित्व बनाये रखने के लिए उसकी प्राणिशास्त्रीय एवं मनो–सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति में जब अनियोजित एवं अकस्मात बदलाव होता है, तब समाज में विचलन उत्पन्न होना स्वाभाविक है। फलस्वरूप समाज में अपराध की दर को बढ़ावा मिलता है। मैलिनॉस्की के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सांस्कृतिक उत्तर में किस प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था प्रभाव डाल रही है उसका विश्लेषण निम्न तालिका में किया गया है।

तालिका –3: मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सांस्कृतिक उत्तर में औद्योगीकरण के प्रभाव

क्रम सं.	मूलभूत आवश्यकताएं **(Basic Need)**	सांस्कृतिक उत्तर **(Cultural Response)**	**संस्तरणीय औद्योगीकरण के प्रभाव से बदलाव**
1	शरीर पोषक (Metabolic)	सह–भोजिता (Commissariat)	घर के बने आहार के स्थान पर जंक फूड, प्राकृतिक पेय के स्थान पर हानिकारक पेय पदार्थ एवं अशुद्ध हवा के उपयोग में वृद्धि।
2	प्रजननमूलक (Reproductive)	नातेदारी (Kinship)	वैवाहिक नातेदारी से प्रजनन का स्थान सोरोगेसी, परखनली शिशु ले रहे हैं। वैवाहिक नातेदारी से यौनिक संतुष्टि के स्थान पर विवाहेत्तर सम्बन्ध, लिव इन रिलेशन ले रहे हैं। अनौपचारिक (प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक नातेदारी) सम्बन्धों के स्थान पर औपचारिक सम्बन्धों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3	शारीरिक सुख (Bodily Comforts)	आश्रय / आवास (Shelter)	शरीर को तापमान, वर्षा, बर्फबारी, आर्द्रता एवं हानिकारक तत्वों से बचाव एवं शरीर रचना के भौतिक एवं आन्तरिक क्रियाओं के लिए आवश्यकता पूर्ति हेतु घर/आश्रय के स्थान पर उपभोक्तावादी परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं सुविधाहीन अवैध नगरीय स्लम की वृद्धि।
4	सुरक्षा (Safety)	संरक्षण (Protection)	मशीनों से चोट, जानवरों एवं दूसरे मनुष्यों के हमले से सुरक्षा के स्थान पर आज आतंकी हमलों, नक्सली हमलों, परमाणु युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक खतरों से सुरक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है।
5	गति (Movement)	गतिविधियां (Activities)	गतिविधि किसी भी सावयव के लिए आवश्यक है ठीक उसी प्रकार किसी भी संस्कृति के लिए अपरिहार्य है। लेकिन अनियोजित औद्योगिक विकास ने सावयव की आवश्यकता पूर्ति एवं संस्कृति के प्रसार के स्थान पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं हेतु विस्थापन एवं पलायन का रूप ले लिया है।
6	वृद्धि (Growth)	प्रशिक्षण (Training)	सांस्कृतिक निरन्तरता एवं पीढ़ीगत विकास के लिए मानव शैशवावस्था, प्रौढ़ता एवं वृद्धावस्था के चक्र से गुजरता है। जिसके संचालन के लिए प्रत्येक उम्र हेतु एक विशेष वैध अनौपचारिक एवं औपचारिक (राज्य पोषित) प्रशिक्षण का तरीका रहा है। आज शिक्षण एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी से राज्य दूरी बना रहा है तथा शिक्षा को निजी पूंजीपतियों को सौंपने का प्रयास कर रहा है। फलस्वरूप समाज में बहुसंस्तरणीय व्यवस्था पनप रही है।
7	स्वास्थ्य (Health)	स्वच्छता (Hygeine)	अपरिहार्य ऊर्जा उत्सर्जन हेतु एवं प्रजनन काल एवं अन्य समय में शारीरिक खतरों से बचाव हेतु स्वस्थ्य होना आवश्यक है, जिसके लिए संरक्षात्मक उपाय किये गये। वर्तमान समय में रोजगार प्राप्ति एवं अन्य उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु लोग बड़े महानगरों की ओर पलायन करते हैं, जहाँ उन्हें श्वास सम्बन्धी एवं यौन संक्रमण सम्बन्धी बीमारियां जैसे एच. आइ.वी./एड्स से लिप्त होने एवं मानसिक अलगाव का खतरा बढ़ा है।

स्रोतः मैलिनॉस्की, (1960) ए साइंटिफिक थ्योरी ऑव कल्चर।

उपरोक्त सैद्धान्तिक पक्षों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि अनियोजित औद्योगीकरण के प्रभाव से मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु पारम्परिक सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना उत्तर देने में अक्षम दिखाई दे रही है। साहित्य समीक्षा एवं मीडिया की पैरवी देखकर प्रतीत होता है कि आधुनिक राज्य अपनी वैधानिकता के आधार पर इस बात का दावा करते हैं कि उसके द्वारा स्थापित विधि के नियमों से सामाजिक शांति कायम है। जैसा कि भारतीय संसद एवं न्यायपालिका समय–समय पर कानून बनाकर एवं कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन का दावा करते हैं। जबकि कई समाजवैज्ञानिक (असद, 2003; नैमार्क, 2001; दास, 2014) इस तथ्य से परे अलग विचार रखते हैं और कहते हैं वास्तव में राज्य के विधानों के माध्यम से जनता पर इस प्रकार घटिया रूप से दमन किया जा रहा है, कि राज्य की एजेंसियां यथा पुलिस एवं प्रशासन की धमकाने वाली रणनीति से राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा पर प्रश्न उठ खड़े होते हैं। नारीवादी दार्शनिक मैकिनॉन (1991) तर्क देते हैं कि बहुत हद तक राज्य धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिवादी अथवा जैवराजनीतिक नहीं है, अपितु राज्य की परिभाषा मर्दाने राज्य की तरह है जैसा कि आधुनिक राज्य लैंगिकभेदपूर्ण हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसी स्थितियां भारतीय समाज में संस्तरणीय औद्योगिक विकास की नीतियों से पनपी पूंजीगत केन्द्रीयकरण व्यवस्था ने कुछ बड़े शहरों को महिलाओं के लिए कत्लगाह बना दिया है।

4. निष्कर्ष एवं सुझाव

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के कारण पुरूष वर्ग पर परिवार के भरण–पोषण एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दबाव है। जबकि उदारीकरण के फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में विशेषतः तृतीयक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता बढ़ने के साथ ही प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों में रोजगार की कमी होने के कारण पुरूष वर्ग पर रोजगार का संकट, आर्थिक एवं मनो–सामाजिक दबाव का कारण बन रहा है। वर्तमान भारतीय युवा जिस प्रकार के इण्टरनेट, सोशल एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के जाल में फंसा हुआ है, उसमें महिलाओं एवं दलितों के प्रति अपराध की दर बढ़नें की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सांस्कृतिक साधनों को नजरंदाज करने से जहां एक ओर नृजातीय विषमता को बढ़ावा मिला वहीं दूसरी ओर महिलाओं की बढ़ती महत्वाकांक्षा भी अपराध के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है।

आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं के प्रति हिंसा की दर का शैक्षिक स्तर एवं आर्थिक विकास के साथ नकारात्मक सहसम्बन्ध है। धारणीय विकास के लक्ष्य संख्या –5.2 में महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध होने वाले सभी स्वरूपों की हिंसा–चाहें सार्वजनिक क्षेत्र हों या निजी क्षेत्र जिसमें मानव व्यापार, यौनिक एवं अन्य प्रकार के शोषण को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है (विश्व स्वास्थ्य संगठन 2016)। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जनमानस में सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण विधि को अपनाकर सकारात्मक माहौल पैदा करने की आवश्यकता है। यद्यपि कुछ सामाजिक संगठनों ने इन मुद्दों पर पहल की है, लेकिन उग्रनारीवादी संगठनों ने निजी हितलाभ की निरन्तरता बनाये रखने के लिए समस्या की जड़ अर्थात पितृसत्तात्मक मानसिकता, पूंजीवादी वातावरण में महिला शरीर को वस्तु के रूप में प्रस्तुतीकरण, संसाधनों के असमान वितरण एवं सामाजिक भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को नजरंदाज

किया है। अतः महिलाओं के प्रति अपराध एवं लिंगभेद की समस्या के स्थायी समाधान हेतु सामाजिक वातावरण को समतामूलक स्वरूप प्रदान करना होगा।

महिलाओं को अपराध एवं लिंगभेद से बचाव हेतु निम्न कदम उठाये जा सकते हैं–

- मानव जीवन हेतु अनिवार्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जाये।
- समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान शक्तिपूर्ण तरीके से लागू किया जाये, जिसके लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को भेदभावरहित वातावरण विकसित करने की जिम्मेदारी निभानी होती है।
- शैक्षिक संस्थाओं एवं स्वास्थ्य सेवा संसथाओं में व्याप्त विभेदकारी, संस्तरणीय व्यवस्था को समाप्त कर समान पाठ्क्रम, समान स्वास्थ्य सेवाएं एवं गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाय।

सन्दर्भ

- Asad T. **(2003)** *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*, Stanford: Stanford Univ. Press.
- Bohra N., et al. **(2015)** *Violence against women*, Indian Journal of Psychiatry. 57(2): S333–S338.
- Bowan, Gillian VL **(2015)** *Paying Guests: Between Kinship and Capital: An Ethnography of Boarding House Residents in Urban South India*, Ph. D. Thesis of Macquarie University.
- D'Alessio, S. J. and Stolzenberg, L. **(2010)** *Sex Ratio and Male-on-Female Intimate Partner Violence*, Journal of Crime and Justice, 38:555–61.
- Das Veena **(2014)** *Violence, Gender, and Subjectivity*, Annual Review of Anthropology, 37: 283-299.
- Fulu, Emma & Stephanie, Miedema **(2015)** *Globalization and Changing Family Relations: Family Violence and Women's Resistance in Asian Muslim Societies*, Sex Roles, Retrived from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11199-015-0540-7.
- Fulu, E. **(2007)** *The Maldives Study on Women's Health and Violence against Women: Initial Results on Prevalence*, Health Outcomes and Women's Responses to Violence, Malé: Ministry of Gender and Family.
- Gupta, Anuja & Ashwini Ailawadi **(2005)** *Childhood and Adolescent Sexual Abuse and Incest: Experiences of Women Survivors In India Jejeebhoy Shireen J.*, et al. (Ed.) Sex without Consent: Young People in Developing Countries, Zed Books, London/New York 171-185.
- Jejeebhoy Shireen J., et al. **(2005)** *Sex without Consent: Young People in Developing Countries*, Zed Books, London/New York.
- Kalra, Gurvinder and Bhugra, Dinesh **(2013)** *Sexual Violence against Women: Understanding Cross-Cultural Intersections*, Indian Journal of Psychiatry. 55(3): 244–

249.

- Kumari R. **(1995)** *Rural Female Adolescence: Indian Scenario. Social Change*, 25:177–88.
- MacKinnon C. **(1991)** *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge: Harvard Univ. Press
- Math, S. B. et al. **(2014)** *Sexual Crime in India: Is it Influenced by Pornography?* Indian Journal of Psychological Medicine, 36(2): 147–152.
- Malinowski Bronislaw **(1960)** *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, New York, Oxford University Press.
- Moreno, C.G. et al. **(2014)** *Addressing violence against women: a call to action, Violence against Women and Girls-Series-5*, Geneva, Switzerlan, Department of Reproductive Health and Research, WHO.
- Naimark, NW. **(2001)** *Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe*, Cambridge: Harvard Univ. Press.
- Santhya, K.G. et al. **(2007)** *Consent and Coercion: Examining Unwanted Sex among Married Young Women in India*, International Family Planning Perspectives, 33(3):124–132.
- Santhya K.G. and Shireen J. Jejeebhoy **(2005)** *Young Women's Experience of Forced Sex within Marriage: Evidences fron India*, in Shireen Jejeebhoy et al. (Ed.) Sex without Consent: Young People in Developing Countries, Zed Books, London/New York, 59-73.
- True, J. **(2010)** *The Political Economy of Violence Against Women: A Feminist International Relations Perspective*, The Australian Feminist Law Journal, 32: 39-59.
- WHO **(2013)** *Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence*, Switzerland. WHO Press.
- WHO **(2016)** *Global Plan of Action to Strengthen the Role of the Health System Within a National Multisectoral Response to Address Interpersonal Violence*, in Particular Against Women And Girls, and Against Children, Geneva/ Switzerland, WHO Press.
- Wodon, Quentin and Suzanne Petroni et. al. **(2017)** *Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report*, International Center for Research on Women and the World Bank. Retrived from: www.costsofchildmarriage.org.
- मजूमदार, डी.एन. एवं मदन, टी.एन. (1998) *सामाजिक मानवशास्त्र परिचय*, नोएडा, मयूर पेपर बैक्स।
- तिवारी, बजरंग बिहारी (2017) *फूले–अम्बेडकर की विरासत*, अदहन, 1 (4).